कार्यालय जिलाधिकारी इलाहाबाद।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 5148/खनिज/2017–18 दिनांकः 22/02/2018

ई–निविदा आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टोन्स नदी तल से अवैध खनन कर जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना स्थित ग्राम बघेड़ा, धरवारा एवं सुलमई में विभिन्न स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये जब्तशुदा साधारण बालू के ग्रामवार निम्नलिखित भण्डारों (जिसे मु0नं0–1047/2017 भागवत प्रसाद यादव, जिला खान अधिकारी बनाम दिवाकर सिंह व 35 अन्य में मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–5, इलाहाबाद द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में अवमुक्त करते हुये निस्तारण करने का आदेश दिया गया है) का निस्तारण ई–निविदा (E-tendering) के माध्यम से किये जाने हेतु एतद्द्वारा घोषित किया जाता है। दिनांक 23.02.2018 से दिनांक 06.03.2018 तक सात कार्य दिवसों के मध्य प्रत्येक बालू भण्डारों के लिए अलग–अलग निम्नलिखित शर्तों के अधीन ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ई–निविदा (E-tender) आमंत्रित किया जाता है।

ई–निविदा (E-tendering) हेतु बालू भण्डारों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल का विवरण	भण्डारित साधारण बालू की मात्रा (घनमीटर में)	न्यूनतम रायल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	न्यूनतम सरकारी बोली की धनराशि (रू0 में)	अर्नेस्ट मनी (कॉलम–5 में अंकित धनराशि का 25 प्रतिशत) की धनराशि (रू0 में)	भण्डारित खनिज को हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन) हेतु निर्धारित समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम धरवारा	28,740	65.00	18,68,100.00	4,67,025.00	4 माह
2	ग्राम बघेड़ा व ग्राम सुलमई	19,690	65.00	12,79,850.00	3,19,963.00	3 माह
–	**योग**	**48,430**	–	**31,47,950.00**	**7,86,988.00**	–

शर्तें

1. ई–निविदा साधारण बालू के प्रति घन मीटर के लिए दी जायेगी जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में जनपद इलाहाबाद के साधारण बालू के लिए विनिर्दिष्ट दर रू0 65.00 प्रति घन मीटर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न ई–निविदा दिये जाने पर ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री–बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम ई–निविदा की दर (रूपये प्रति घनमीटर) को उस बालू भण्डार में आंकलित साधारण बालू की कुल मात्रा (घनमीटर) से गुणा कर सम्बन्धित बालू भण्डार के लिए देय ई–निविदा की सर्वोच्च धनराशि का आगणन किया जायेगा।
2. इच्छुक ई–निविदाकार किसी भी बालू भण्डार के लिये ई–निविदा डालने से पूर्व स्वयं मौके पर जाकर उपरोक्त बालू भण्डारों के भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। निविदा खोले जाने के उपरान्त किसी भी बालू भण्डार की भौतिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत कर सकता है जिसमें निम्नलिखित बाते होंगीः–
   - क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा बालू भण्डार को विज्ञापित किया गया हो।
   - ख. विज्ञप्ति में बालू भण्डार का क्रमांक।
   - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम व पता (स्थायी और वर्तमान), ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर। (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आई.डी./पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)
   - घ. उस बालू भण्डार, जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है, का विवरण जिसमें निम्नलिखित होः–

     बालू भण्डार का ग्राम–

     तहसील का नाम–

     विज्ञप्ति में दी गई बालू भण्डार की मात्रा–

ड. खनिज के प्रति घनमीटर के लिये ई–निविदा के रूप में दी जाने वाली रायल्टी की दर उस खनिज के लिये नियमावली–1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65.00 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी।

च. प्रत्येक बालू भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली–1963 की अनुसूची–1 में साधारण बालू के लिए विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 65.00 प्रति घनमीटर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसके 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के बैंक ड्राफ्ट **(जो जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पक्ष में देय हो)** की मूलप्रति ***दिनांक 07.03.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक*** जिला खनन कार्यालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक बालू भण्डार की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस निविदाकार का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि व समय तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

छ. खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र।

ज. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड।

4. ई–निविदा आमंत्रण की सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक 06.03.2018 तक ई–टेण्डर पोर्टल **http://etender.up.nic.in** पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी। बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित/वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। ई–निविदा के साथ अपलोड किये गये अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक **07.03.2018 को दोपहर 12.00 बजे** के पूर्व जिला खनन कार्यालय, इलाहाबाद में जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक तथा विज्ञप्ति में बालू भण्डार का क्रमांक अंकित करना होगा।
5. दिनांक 06.03.2018 तक प्राप्त ई–निविदाओं को जिलाधिकारी इलाहाबाद के कैम्प कार्यालय स्थित एन0आई0सी0 के कार्यालय में **दिनांक 07.03.2018 को 1.00 बजे अपरान्ह** में खोला जायेगा।
6. ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स को किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC) प्राप्त करना होगा।
7. इच्छुक ई–निविदाकार को अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डर पोर्टल पर कराना होगा। ई–टेण्डर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा ई–निविदा अपलोड करने हेतु किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., इलाहाबाद से उनके मोबाइल नम्बर 9451072915 पर एवं ई–जिला प्रबन्धक से उनके मोबाइल नम्बर 9554404290 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई–निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपनी ई–निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी :–

   i. सर्वप्रथम ई–निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

   ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

   iii. ई–निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

   iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारियों को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

   v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा को ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

   vi. ई–टेण्डर डाक्यूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Off line) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर ई–निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

   vii. तत्पश्चात ई–निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से सम्बन्धित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियॉ भरने के बाद उसको सेव (Save) कर लिया जायेगा।

   viii. ई–निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेंगें।